न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय प्रथम, बस्ती।

सिविल अपील सं०– 22/2010

कतारू बनाम रामबरन

दिनांक 05.04.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 69 क 2 नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 69 क 2

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 69 क 2 मय शपथ पत्र 70 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मेमो आफ अपील में यह कानूनी बिन्दु आधार अपील में दर्ज करने से रह गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किये थे और अपील में भी तर्क प्रस्तुत करने पर तत्पर है। ऐसी स्थिति में आधार अपील में एक नई धारा –15– यह कि वाद पत्र के कथनों के आधार पर दावा वादी जो घोषणात्मक है वह पोषणीय नहीं है। इस कारण भी दावा वादी खारिज होने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान न देकर दावा वादी डिग्री करने में घोर गलती किया है।, बढ़ाये जाने की याचना किया है।

रेस्पान्डेन्ट की ओर से आपत्ति कागज संख्या 71 ग 2 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र उपरोक्त नियम प्रक्रिया के विपरीत है। संशोधन प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० के स्कोप के बाहर है। मेमो अपील कदापि अभिवचन नहीं है। प्रार्थना पत्र उपरोक्त नियमानुसार हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित नहीं है। अपील 14 वर्ष पुरानी है, संशोधन प्रार्थना पत्र 14 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र उपरोक्त मैलाफाइडी है, मात्र अपील को लटकाने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रत्येक दृष्टिकोण से निरस्त होने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र संशोधन का०सं० 69 क 2 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा अपील मेमो में एक नई धारा–15 को प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, परन्तु प्रस्तुत संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदल रही है। आपत्ति औपचारिक है। यद्यपि अपीलान्ट/वादी द्वारा काफी विलम्ब से उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायहित में संशोधन प्रार्थना पत्र 69 क 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रार्थना पत्र 69 क 2 मु० 200/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति 71 ग 2 निस्तारित की जाती है। अपीलान्ट वांछित संशोधन अंदर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनॉक 15.04.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित गति न्यायालय प्रथम, बस्ती।